

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.6(9) परीक्षा क/ प्राध्यापक / (स्कूल शिक्षा)/हिन्दी (छात्र)/2015-16/1428 दिनांक 15.10.2018 एवं 1485 दिनांक-25.10.2018 द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) हिन्दी वेतन लेवल 12 के पद पर संलग्न सूची में विवरणांकित 02 अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर 02 वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)- हिन्दी के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-1(12)डीओपी/ए-II/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ-12(06) एफडी (नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ-15 (1) / एफडी / रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 9.12.17 के प्रावधानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कार्मिकों को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 8(1)कार्मिक(क-2)/3 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे:-

- 1 अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक-29.01.18 एवं माननीय सम्पूर्णय आयोग की बैठक दिनांक-05.03.18 द्वारा प्रदत्त निर्णयानुसार तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक स्थिति के अनुसार सम्बन्धित वर्ग का शपथ पत्र एवं अन्य नाम-उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
- 2 सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
- 3 कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नहीं करवावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
- 4 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 5 जिन अभ्यर्थियों ने राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएं अर्जित की हैं उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
- 6 कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत, सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं करवावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

- 07 चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट <http://education.rajasthan.gov.in/> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकृत होंगे।

उक्त नियुक्तिया माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम कैप्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 9/5/17 के निर्णय एवं एस0बी0सिविल रिट पिटीशन संख्या 8857/17 अरविन्द कुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 2/6/17 के निर्णय के अध्याधीन रहने के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4695-4699/2018 रिशाल व अन्य बनाम आयोग व अन्य के अन्तर्गत एस0एल0पी0 संख्या 14306-14310/2017 पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 की अनुपालना में माननीय न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2015 विषय हिन्दी (छात्र संस्थाये) के पूर्व घोषित परिणाम दिनांक 02/6/17 के अतिक्रमण में दिनांक 01/8/18 को जारी किये गये नवीनतम परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त अभिस्तावना के अनुसार दी जा रही है। इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 06.11.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। उक्त नियुक्तियाँ पूर्णतया अस्थायी (temporary) आधार पर रहेंगी तथा नियुक्त अभ्यर्थी संबंधित पद पर स्थाईकरण (confirmation) का अधिकारी नहीं होगा।

यह नियुक्ति राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-प.7(1) शिक्षा-2/प्राध्या/व0अ0/प्रयो.सहा/2018 जयपुर दिनांक-24.10.18 के द्वारा नियुक्ति हेतु विधान सभा आम चुनाव आदर्श आचार संहिता में शिथिलन हेतु निर्वाचन विभाग राजस्थान के पत्रांक-एफ.3(1)(9)1/Elect/2018/6965 दिनांक-08.10.2018 द्वारा गठित स्कनिंग समिति की सहमति एवं सामान्य प्रशासन विभाग की आई.डी. संख्या- 3697/पीएस/जीएडी/18 दिनांक-23.10.2018 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक :- 27/10/18

क्रमांक :- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी/पीएससी-15/2017  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
- 2 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/ कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
- 3 सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4 संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा /मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा।
- 5 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6 कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
- 7 संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिक यदि निर्वाचन सम्बन्धी कार्य में लगे हैं तो उन्हें सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी की सहमति उपरांत ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावें।
- 8 सम्बन्धित आशार्थी
- 9 अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।/ निजी/रक्षित पत्रावली।



  
संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)

s-no	merit no	NAME	FNAME	स्थायी पता	CTG	BIRTHDATE	CTG_TY	पदस्थापन स्थान (राउमावि)
1	0	PREM LATA PURBIA	GANESH LAL PURBIA	मु.पो. मोही जिला राजसमंद	SB,WE,WD	07/09/1991		ओडा-रेलमगरा, राजसमन्द
2	0	RAMESHWAR	BABOO SINGH	ग्रा.पो. तिया पट्टी उच्चैन, त. रूपवास जिला भरतपुर	SB,RG	20/06/1986		बा0 पचपहाड झालावाड



निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.6(9) परीक्षा क/ प्राध्यापक / (स्कूल शिक्षा)/ हिन्दी (छात्र)/ 2015-16/ 1428 दिनांक 15.10.2018 एवं 1485 दिनांक-25.10.2018 द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) हिन्दी वेतन लेवल 12 के पद पर संलग्न सूची में विवरणांकित 15 अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर 02 वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)- हिन्दी के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-1(12)डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ-12(06) एफडी (नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ-15 (1) / एफडी / रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 9.12.17 के प्रावधानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कार्मिकों को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 8(1)कार्मिक(क-2)/3 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे:-

- 1 अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक-29.01.18 एवं माननीय सम्पूर्ण आयोग की बैठक दिनांक-05.03.18 द्वारा प्रदत्त निर्णयानुसार तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक स्थिति के अनुसार सम्बन्धित वर्ग का शपथ पत्र एवं अन्य नाम-उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
- 2 सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
- 3 कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नहीं करवावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
- 4 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 5 जिन अभ्यर्थियों ने राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएं अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
- 6 कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत, सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं करवावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

07 चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट <http://education.rajasthan.gov.in/> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकृत होंगे।

उक्त नियुक्तिया माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम कैप्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 9/5/17 के निर्णय एवं एस0बी0सिविल रिट पिटीशन संख्या 8857/17 अरविन्द कुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 2/6/17 के निर्णय के अध्यक्षीन रहने के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4695-4699/2018 रिशाल व अन्य बनाम आयोग व अन्य के अन्तर्गत एस0एल0पी0 संख्या 14306-14310/2017 पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 की अनुपालना में माननीय न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2015 विषय हिन्दी (छात्र संस्थायें) के पूर्व घोषित परिणाम दिनांक 02/6/17 के अतिक्रमण में दिनांक 01/8/18 को जारी किये गये नवीनतम परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त अभिस्तावना के अनुसार दी जा रही है। इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 06.11.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। यह नियुक्ति राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-प.7(1) शिक्षा-2/प्राध्या/व0अ0/प्रयो.सहा/2018 जयपुर दिनांक-24.10.18 के द्वारा नियुक्ति हेतु विधान सभा आम चुनाव आदर्श आचार संहिता में शिथिलन हेतु निर्वाचन विभाग राजस्थान के पत्रांक-एफ.3(1)(9)1/Elect/2018/6965 दिनांक-08.10.2018 द्वारा गठित स्किनिंग समिति की सहमति एवं सामान्य प्रशासन विभाग की आई.डी. संख्या-3697/पीएस/जीएडी/18 दिनांक-23.10.2018 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक :- 27/10/18

क्रमांक :- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी/पीएससी-15/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
- 2 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/ कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
- 3 सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4 संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा /मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा।
- 5 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6 कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
- 7 संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिक यदि निर्वाचन सम्बन्धी कार्य में लगे हैं तो उन्हें सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी की सहमति उपरांत ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावें।
- 8 संबंधित आशार्थी
- 9 अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएससी प्रभाग कार्यालय हाजा।/ निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,  
बीकानेर

s-no	merit no	NAME	FNAME	स्थायी पता	CTG	BIRTHDATE	CTG_TY	पदस्थापन स्थान (राउमावि)
1	3042	SONENDRA KUMAR BANSAL	SHRAVAN KUMAR BANSAL	प्लॉट नं. 267 / 396 सेक्टर 26 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर	GE,BL	08/12/1991	GENM	कोटखावदा, जयपुर
2	3047	SUNEETA GUPTA	SHYAM LAL GUPTA	ग्राम विलेटा, पो बिलेटा राजगढ अलवर	GE,WE, BL,RG	25/08/1984	GENF	मालाखेडा, अलवर
3	2856	ANJU KAMEWAL	MUNNA LAL KAMEWAL	प्लॉट नं. 36, गोविन्द नगर, चौधरी पेट्रोल पम्प के पीछे थाना सांगानेर जयपुर	BC,WE,D V	14/10/1984	OBCF	राजपुरा पटेलवास, जयपुर
4	3092	SUNITA KHARWAS	AMI CHAND	म.नं. 112, अशोक विहार, शिकारगढ जोधपुर	BC,WE, WD,RG	29/05/1970	OBCF	लूणावासकलां-लूणी, जोधपुर
5	3124	NEETU BALA	POORAN CHAND	गांव बागोल वाया खिवाडा त. देसूरी पाली	SC,WE, WD	07/07/1988	SCF	जानून्दा, पाली
6	3163	MS ANITA KUMARI	SHRI PURANMAL MEENA	ग्रा.पो. भडोदांकला, जिला झुंझुनूं	ST,WE, WD	15/05/1989	STF	गुढा गौडजी- उदयपुरवाटी झुंझुनूं
7	3161	KAMLESH KUMARI MEENA	JAGDISH PRASAD MEENA	ग्रा.पो. गाडोली, त. जहाजपुर भीलवाड	ST,WE, WD	08/07/1988	STF	हालेड भीलवाडा
8	3162	ANITA MEENA	RATAN LAL MEENA	ग्राम रतनगढ पाला, पा.पाला त. मालाखेडा जिला अलवर	ST,WE, WD	08/07/1991	STF	जमालपुर अलवर
9	1928	KARAMJEET KAUR	MITHU SINGH	वार्ड 23 गुरु नानक बस्ती, संगरिया हनुमानगढ	BC,WE	21/10/1987	OBCF	वार्ड नं. 4 टिब्बी, हनुमानगढ
10	2774	PRATIBHA MEENA	BHARAT LAL MEENA	ग्रा.पो. ढहरिया, त. नादौती करौली	ST,WE	20/08/1992	STF	रेवदर, सिरौही
11	2818	MADHU MEENA	BANWARI LAL MEENA	5-ए, विकास पथ, रोड नं. 1, 22 गोदाम जयपुर	ST,WE,R G	15/07/1980	STF	महला-दूदू जयपुर
12	2846	SUDESH	SHRIRAM	ग्रा.देसूला, पो. मिया त. व जिला अलवर	SC,WE, RG	14/04/1987	SCF	घाट, लक्ष्मणगढ अलवर
13	1527	ANITA TELI	SOHAN LAL TELI	म.नं. 3-क-75, विज्ञान नगर कोटा	BC,WE, RG,NG	20/01/1983	OBCM	देहित-तालेडा बून्दी
14	2556	KANU RAM	RUP CHAND	गां0पो0 भलूरी, त0 कोलायत बीकानेर	SC,RG	20/10/1988	SCM	गडियाला कोलायत बीकानेर
15	2591	VIJAY KUMAR	NAND GOPAL	बुनकर मोहल्ला, गांव दिवराला त0 श्रीमाधोपुर सीकर	SC	13/08/1984	SCM	बटका फलां झूंगरपुर

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर